मध्य रेल सोलापुर मंडल

मासिक परिचालन पत्रिका

माह-मई 2019 अंक 19

सक्षम अभियान

हमारा उद्देश्य

संरक्षा प्रथम, अंतिम एवं हर समय

प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक पुरुष्कार 2019 से सम्मानित अधिकारी एवं कर्मचारियों की एक झलक

सतर्क आदमी संरक्षा का सर्वोत्तम साधन है

कर्मचारियों द्वारा किये गए ख़राब कार्य

1. दिनांक 09.05.2019 को दौंड जंक्शन के लाइन संख्या यू सी 4 में अवरोधित लाइन पर गाड़ी का प्रवेश हुआ था. ड्यूटी पर उपस्थित उप मुख्य यार्ड मास्टर द्वारा दौंड स्टेशन संचालन नियम एवं सामान्य एवं सहायक नियम 1999 में वर्णित नियमों का उल्लंघन किया.

अतः गाड़ियों के अवरोधित लाइन पर गाड़ियों के प्रवेश को रोकने के लिए सा.नि.03.38 का अनुसरण एवं स्टेशन संचालन नियमों का कडाई से पालन किया जाना चाहिए.

ब्लॉक सेक्शन में सामग्री गाड़ी का संचालन

सामान्य नियम 4.62 : ब्लॉक सेक्शन में सामग्री गाड़ी का संचालन केवल दोनों ओर के स्टेशन मास्टर की अनुमति से और विशेष अनुदेशों के अनुसार किया जायेगा.

सहायक नियम: 4.62-1: सामग्री गाड़ी आर्डर एवं संचालन करना:-

क. इंजीनियरिंग विभाग से सूचना प्राप्त पर होने पर मंडल परिचालन प्रबंधक सम्बंधित व्यक्तियों को पत्र द्वारा आदेश जारी करेंगे और उस आदेश में सामग्री गाड़ी जिन सेक्शन पर कार्य करेगी, उन सेक्शन के नाम, और कार्य आरम्भ करने की तारीख, गाड़ी स्टेबल किये जाने वाले स्टेशन का नाम और गाड़ी के कार्यभारी पदाधिकारी का विवरण रहेगा.

ख. इंजीनियरिंग विभाग को नोटिस, यथेष्ठ समय पर देना चाहिए. सामग्री गाड़ी के संचालन से सम्बंधित सूचना तीन दिनों से कम नहीं होनी चाहिए.

ग. यदि सामग्री गाड़ी का कार्य 15 दिनों से अधिक के लिए स्थापित किया जाये या जिस सेक्शन पर उसे काम करने का आदेश दिया था, उसमें परिवर्तन कर दिया जाए, तो फिर से "सर्व सम्बंधित" को तार जरूर जारी करना चाहिए.

घ. प्रत्येक सामग्री गाड़ी के पीछे 10.02 टन का एक ब्रेक यान अवश्य होना चाहिए और जहाँ उपलब्ध हो वहां डो ब्रेकयान एक आगे और एक पीछे लगाने चाहिए. सक्रिय स्वचल ब्रेकयुक्त वाहन इंजन के पीछे लगाने चाहिए एवं निर्वात ब्रेक/एयर ब्रेक को इंजन से जोड़ देना चाहिए.

सामग्री गाड़ी के इंजीनियरिंग कार्यभारी पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सी एंड डब्लू कर्मचारियों द्वारा एयर ब्रेक प्रणाली वाली सामग्री गाड़ी का परीक्षण कम से कम 15 दिन में एक एवं निर्वात ब्रेक की सामग्री गाड़ी का परीक्षण कम से कम 10 दिन में एक बार किया गया है. सामग्री गाड़ी को कार्य पर जाने की अनुमति देने से पहले इंजीनियरिंग कार्यभारी पर्यवेक्षक को सी एंड डब्लू कर्मचारियों द्वारा दिया गया ब्रेक पॉवर

प्रमाण पत्र होना चाहिए. इस प्रकार के परीक्षण की जिम्मेंदारी सामग्री गाड़ी के इंजीनियरिंग कार्यभारी पर्यवेक्षक की होगी.

ङ. सामग्री गाड़ियों को खाली करने और लादने का काम इंजीनियरिंग विभाग द्वारा कार्यभारी पदाधिकारियों के देखरेख में किया जाना चाहिए. यह पदाधिकारी रेल पथ, सिग्नल, तार ट्रांसमिशन आदि अवरोध रहित छोड़ने के लिए जिम्मेदार होंगे. विशेष प्रकार के बने ट्रकों से और इंजीनियरिंग विभाग के कार्यभारी पदाधिकारी की देखरेख में गाड़ी की स्पीड 8 किमी से अधिक नहीं होनी चाहिए.

च. जब सामग्री गाड़ी स्टेशन के वीच कम कर रही हो तो सामग्री गाड़ी के कार्यभारी इंजीनियर पदाधिकारी के साथ परामर्श करने के बाद इंजीनियरिंग विभाग के स्थाई सक्षम कर्मचारियों को पर्याप्त मात्रा में जाम, झंडियाँ, बैनर फ्लैग के साथ गाड़ी के बचाव के लिए नियुक्त करें.

छ. स्टेशन सीमाओं के बाह सामग्री गाड़ी को अलग अलग भागों में नहीं बाँटना चाहिए.

ज. यदि सामग्री गाड़ी को पीछे धकेल कर उस स्टेशन तक लाया जाता है जहाँ से वह रवाना हुई थी तो उसे पीछे लेने के लिए सहा.नियम 4.12.-2 का अवश्य पालन करना चाहिए. यदि सामग्री गाड़ी पिछले ब्लॉक सेक्शन में कार्य करती है तो लाइन को अवश्य ब्लॉक बैक कर देना चाहिए. उन स्टेशन पर जहाँ टोकन लेस ब्लॉक उपकरण लगे हों वहां पिछले ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश के लिए ऑक्यूपेशन चाबी लोको पायलट को दी जाए.

झ. ब्लॉक स्टेशन के वीच जाते समय जब इंजन गाड़ी के आगे हो जब सामग्री गाड़ी की गति मालगाड़ी के लिए निर्धारित गति से अधिक नहीं होनी चाहिए.

(अ) गाड़ी की गति सीधी पर 25 किमी/घंटा और टर्न आउट पर 8 किमी/घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिये.

(आ) गार्ड को गाड़ी के अगले ब्रेक यान में सफ़र करना चाहिए और लोकोपायलट को हाथ सिग्नल अवश्य दिखने चाहिए.

(इ) जिस दिशा में गाड़ी चल रही हो उस दिशा की ओर गाड़ी कर्मचारियों को विशेष रूप से देखते रहना चाहिए और किसी भी अवरोध अथवा समपार से पूर्व रुकने के लिए अवश्य तैयार रहना चाहिए.

(ई) जब गाड़ी टर्न आउट के समीप पहुँच रही हो तो गाड़ी अवश्य रोकनी चाहिए और इस बात की स्वयं तसल्ली करनी चाहिए कि सभी कांटे ठीक तरह से सेट किये गए हैं और सभी नॉन इंटरलॉक काँटों पर ताला लगा दिया गया है और उन पर आदमी तैनात हैं.

ठ. जब इंजन गाड़ी को धकेल रहा हो और ब्रेक यान गाड़ी में न लगा हो:-

क. गाड़ी की गति 8 किमी/घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए.

ख. गार्ड को निर्वात/एयर ब्रेक वाल्ब अथवा हाथ ब्रेक लगे वाहन में सफ़र करना चाहिए. यदि आगे का वाहन इस प्रकार सज्जित न हों गार्ड को उस वाहन में सफ़र करना जिसमें यह सब लगा हो. उसे लोको पायलट को हाथ सिग्नल अवश्य दिखाना चाहिए.

सा.नि.4.63: सामग्री गाड़ी पर चलने वाले कर्मकार (लेबर) :- सामग्री गाड़ी का गार्ड गाड़ी चलाने का सिग्नल देने से पहले यह देख लेगा कि सभी कर्मकार गाड़ी पर चढ़ गए हैं और उन्हें बैठ जाने की चेतावनी देगा.

स.नि. 4.63-1 गार्ड द्वारा सामग्री गाड़ी रवाना करने से पहले के पूर्वोपाय:- गाड़ी रवाना करने से पूर्व गार्ड, स्वयं इस बात की तसल्ली करेगा कि इंजीनियरिंग विभाग के कार्यभारी पदाधिकारी को यह सूचना दी जा चुकी है कि गाड़ी रवाना होने के लिए तैयार है और यह सुनिश्चित करेगा कि वाहनों के नीचे कोई आदमी नहीं है.

सा.नि.: स्थाई रूप से खड़ी हुई (स्टेबल) सामग्री गाड़ी की रक्षा :

1. अनिवार्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी स्टेशन पर कोई सामग्री गाड़ी परिचालित लाइन पर स्थाई रूप में खड़ी(स्टेबल) नहीं की जाएगी.
2. यदि कोई सामग्री गाड़ी किसी स्टेशन पर स्थायी रूप में खड़ी(स्टेबल) की गयी है तो उसकी रक्षा निम्नलिखित रीति से की जायेगी और स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि:-
   क. मटेरियल ट्रेन के वाहन ठीक तरह से कसे बंधे हुए हैं और किसी कांटे या क्रासिंग का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं.
   ख. जिस लाइन पर मटेरियल ट्रेन स्थाई रूप खड़ी(स्टेबल) की गयी है, उसके सभी कांटे उस लाइन से विपरीत दिशा में सेट कर दिए गए है और वे कांटे क्लैंप एवं पेड लॉक कर दिए गए हैं.
   ग. ऐसे तालों की चाबियाँ उसकी व्यक्तिगत अभिरक्षा में तब तक रहेंगी जब तक कि मटेरियल ट्रेन साइडिंग या लाइन से जाने के लिए तैयार नहीं है.
3. गार्ड तब तक अपना कार्यभार नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसका इस बावत समाधान नहीं होता कि मटेरियल ट्रेन इस नियम में निर्धारित रूप में रक्षित कर दी गयी है.

*****

सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी

संकलन : आर.बी.सिंह यातायात निरीक्षक दौंड.

सहयोग : पी आर नायर यातायात निरीक्षक (संरक्षा) सोलापुर.

संरक्षा प्रथम, अंतिम एवं हर समय